आईडी कार्ड होल्डर के कर्तव्य

लोक हित के उद्देश्य हेतु तथा वर्ष 2006 के संघीय कानून सं. 9 के अनुसार, जनसंख्या रजिस्टर और आईडी कार्ड सिस्टम तथा इसके कार्यकारी विनियमन के संबंध में, आईडी कार्ड होल्डर को निम्न करना चाहिए:

- आईडी कार्ड से छेड़छाड़ न करें, न मिटाएं, न ही उसमें कुछ बदलाव करें और न ही उसे मरोड़ें
- आईडी कार्ड को हर समय अपने पास रखें और जब भी कानून द्वारा आवश्यक हो आईडी कार्ड प्रस्तुत करें
- आईडी कार्ड में संशोधन करने, बदलाव करने या प्रकट करने के लिए आवश्यक तिथियों और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन करें
- आईडी कार्ड के विवरणों में किसी भी प्रकार के बदलाव को विवरण परिवर्तन के दिनांक से एक माह के भीतर कार्यक्षम विभाग में सूचित करें
- आईडी कार्ड के खो जाने की स्थिति में **एमीरेट आईडी सर्विस प्वॉइंट** को कार्ड खो जाने से 7 दिन के भीतर सूचित करें
- खराब कार्ड को बदलने या गुम हुए कार्ड के लिए आवेदन करें तथा उचित शुल्क का भुगतान उस घोषणा–पत्र को जमा करने के साथ करें, जिसमें यह उल्लिखित किया गया हो कि आईडी कार्ड किसी भी प्राधिकरण या संगठन द्वारा न तो लिया गया है और न ही रक्षित है।
- यदि आईडी कार्ड पूर्ण या आंशिक रूप से खराब हो गया हो तो अपने नज़दीकी **एमीरेट आईडी सर्विस प्वॉइंट** को 7 दिनों के भीतर सूचित करें, ताकि इसका उपयोग उस उद्देश्य के लिए किया जा सके जिसके लिए इसे बनाया गया है। ऐसी स्थिति में, कार्ड होल्डर को खराब कार्ड बदलने या खोए हुए कार्ड के लिए आवेदन करना चाहिए और उचित शुल्क अदा करना चाहिए।
- आईडी कार्ड को तब तक किसी भी संस्था या संगठन में न छोड़ें जब तक कि किसी कार्यक्षम न्यायालय द्वारा ऐसा कोई निर्णय या निर्धारण प्रस्तावित न किया गया हो।

➢ यदि आपको कोई आईडी कार्ड मिलें, तो कृपया उसे नज़दीकी एमीरेट आईडी सर्विस प्वॉइंट या नज़दीकी पुलिस स्टेशन को सौंप दें।

➢ सभी आईडी कार्ड होल्डर्स को उपरोक्त दिए गए निर्देशों का अवश्य पालन करना चाहिए। विधिक संरक्षण या उसके बदलाव में उपरोक्त दिशा–निर्देशों के क्रियान्वयन की जिम्मेदारी अपनायी जानी चाहिए।